परिवहन विभाग

नोटिस

पत्रांक–06 / फिटनेस–(ATS) 45 / 2022 4254 पटना, दिनांक– 22/5/2025

प्रेषितः–

Dhiraj Kumar Singh,
Address-Chhawahi khas, Dist-Gopalganj.
E-mail:- garimamotor@gmail.com,

वजरियें इस सूचना से सूचित किया है कि आपको Mauja-Loheriy, Thana/Anchal-Chanpatiy. में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु विभागीय पत्रांक–1212 दिनांक–22.02.2022 द्वारा प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र सं0–**45 / 2022**, दिनांक–**22.02.2022 से 21.08.2022** तक की अवधि के लिए निर्गत किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया द्वारा उनके पत्रांक–**119** दिनांक–**20.0402025** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्थापना हेतु इच्छुक नहीं है साथ ही आपके के पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र (PRC) सं0–**45 / 2022** रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक–**1291**, दिनांक–**13.02.2025** द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर स्वचालित **परीक्षण स्टेशन की** स्थापना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन **विभाग** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित **करें। निर्धारित अवधि तक** प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति **में यह माना जायेगा कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन की** स्थापना के लिए इच्छुक नहीं है। इस कारण स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण हेतु उनके निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आपके द्वारा विभागीय नोटिस का कोई प्रति उत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

अतः आपको सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए **दिनांक–28.05.2025 को मध्याह्न 12:00** बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा आपके पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण–पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

22/5/25

अनुज्ञापन प्राधिकार
–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 4254 पटना, दिनांकः– 22/5/2025

प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित की उक्त नोटिस का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित किया जाय।

22/5/25

अनुज्ञापन प्राधिकार
–सह–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।